

आर.ई.ओ-255

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (आर.ई. सर्किल)

क्र.जे.पी.डी./मु.अ.(प्रोजेक्टस) जयपुर (न्हू)/अधी.अभि.(आर.ई.)/अधि.अभि.(II)/सहा. अभि (II)/प. 146/प्रे. 106 दि 31-1-2017

आदेश

विषय :- वर्ष 2016-17 में कृषि कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

निगम से जारी आदेश आर.ई.ओ-247 दिनांक 1.4.2015 में 31 अक्टूबर 2009 तक पंजीकृत सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन आवेदनों के मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया था।

निगम से जारी आदेश आर.ई.ओ-254 दिनांक 11.08.2016 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र (किशनगंज एवं शाहबाद पंचायत समिति) के सामान्य श्रेणी के आवेदक, जिन्होंने दिनांक 31.03.2013 तक आवेदन किया है, उनके मांग पत्र जारी कर नियमानुसार कृषि कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया था।

अब यह निर्णय लिया गया है कि 28 फरवरी 2010 तक पंजीकृत सामान्य श्रेणी के आवेदनों के मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जावे।

राज्य के समस्त अनुसूचित जाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के तथा अन्य आवेदक जिन्हें तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन देय है के मांग पत्र तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर यथावत जारी करते रहें।

सभी श्रेणीयों के लिए मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नहीं कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। जिसके लिये सभी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की मीटिंग एवं चौपालों में विस्तृत जानकारी दे दी जावे।

अन्य नियम व शर्तें पूर्व में जारी आदेश आर.ई.ओ-234 दिनांक 30.11.2012 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

उपरोक्त आदेश तीनों विद्युत वितरण निगमों पर लागू होगे। उपरोक्त आदेशों को सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।


31/01/2017
(पी.के. जैमिनि)
मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्टस) जयपुर (न्हू)
जयपुर डिस्कॉम जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2-अध्यक्ष डिस्कॉम्स जयपुर।
- 3-प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर/अजमेर/जोधपुर
- 4-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
- 5-सम्बागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा) जयपुर/भरतपुर/कोटा।
- 6-मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
- 7-अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि।

8. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान / पीपीएण्डएम) अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम अजमेर / जोधपुर ।
9. प्रावेधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर / अजमेर / जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर / अजमेर / जोधपुर
- 10—प्रावेधिक सहायक, मुख्य अभियंता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 11—प्रावेधिक सहायक सलाहकार (ऊर्जा) मुख्यमंत्री, जयपुर ।
- 12—प्रावेधिक सहायक राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर ।
- 13—अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (रामबाग सर्किल), जयपुर ।
- 14—मुख्य / वरिष्ठ लेखाधिकारी () जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
- 15—सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय, जयपुर ।
- 16—अधिशाषी अभियंता (पवस / ग्रिवीन्सेज) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 17—विशिष्ट सहायक सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर ।
- 18—जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 19—निजी सचिव माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ ।
- 20—निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को सूचनार्थ ।
- 21—इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।

मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्टस) जयपुर (मूँ)

जयपुर डिस्कॉम जयपुर

३१/०१/२०१८